न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010073822022

Sessions Case/1605/2022
State of U.P. Vs. Anish
सत्र परीक्षण संख्या 1605/2022

सरकार बनाम अनीस

मु0अ0सं0 248/2022
अ0 धारा 354,354–घ, 506 भा0द0स0
7/8 पोक्सो एक्ट,
थाना बहादुरगढ, जिला हापुड।

17.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2026 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 पर विद्वान विशेष लोक अभियेाजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2026 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी के बयान अंकित हो चुके है , परन्तु उक्त साक्षी से जिरह नहीं हो सकी थी । अतः साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सख्त आपत्ति है । वाद को विलम्बित करने की नीयत से प्रार्थनापत्र दिया गया है । अतः उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी के जिरह हेतु उपस्थित होने के बावजूद अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय के आदेश दि0 21.05.2023 द्वारा जिरह का अवसर समाप्त किया गया था । अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2026 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी के बयान अंकित हो चुके है ,

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.20 14:58:52 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

परन्तु उक्त साक्षी से जिरह नहीं हो सकी थी । अतः साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

यद्यपि अभियुक्त का यह आचरण अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दर्शित होता है , परन्तु प्रकरण के गुण दोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु उक्त साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी से जिरह का अवसर दिया जाना व साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2026 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.07.2026 अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 अंकन 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी से जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है। साक्षी पी०डब्लू0–1 रूबी जिरह हेतु तलब हो। पत्रावली साक्षी पी०डब्लू0–1रूबी से जिरह हेतु दि0 24.07.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।